न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – कपूर शंकर मान (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
100/2010 (RCMS 2010/00123)	15.06.2010	09.05.2019

अनवान

बिहारी लाल पिता श्री घासी खटीक उम्र 75 वर्ष निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

वादी

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

प्रतिवादी

–:: दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा ::–

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम राशमी तहसील राशमी में पुरानी पैमाईश के आराजी नम्बर 557 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा रकबा स्थित है जिसमें से एक बीघा 18 बिस्वा रकबा मुझ वादी को सन् 1965 में एलोट हुआ व एलोटशुदा रकबे का आराजी नम्बर 557/1 कायम किया जाकर इन्तकाल नम्बर 594 से दिनांक 18.04.1968 को मुझ वादी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई। तहसील राशमी में पैमाईश में उक्त आंवटनशुदा रकबे का नया नम्बर 375/2459 एवं 398/2460 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा बनाया गया चूंकि तहसील राशमी में नई जरीब छोटी हो जाने से रकबा साबिक के मुकाबले सवाया हो गया जिससे पुराना रकबा 1 बीघा 18 का दो बीघा 11 बिस्वा बना। उक्त आवंटन पैमाईश की कार्यवाही के दरम्यान होने से नये रेकार्ड में वादी का इन्द्राज नहीं हो सका व

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व रेकार्ड में पुन आराजीयात को बिलानाम दर्ज कर दिया। उक्त आराजीयात पर कब्जा आवंटन से लेकर आज तक वादी का चला आ रहा है जिससे वादी उक्त आराजीयात का खातेदार हो गया है जिससे वादी यह घोषणा कराने का अधिकारी है कि ग्राम राशमी की आराजी नम्बर 375/2459 व 398/2460 का वादी खातेदार काश्तकार होकर काबिज है। राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज के कारण प्रतिवादी धारा 91 एल. आर. एक्ट की कार्यवाही कर वादी को बेदखल करना चाहता है जबकि वादी का कब्जा नाजायज नहीं है जिससे वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी पाने का अधिकारी है। अतः वादी की प्रार्थना है कि ग्राम राशमी की आराजी संख्या 375/2459 व 398/2460 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 04.08.2008 को प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में वाद वर्णित तथ्यों से इन्कार किया एवं वाद पत्र वादी द्वारा स्वयं के सिद्ध कराये जाने का निवेदन किया। वादपत्र एवं जवाबदावा अनुसार पत्रावली में दिनांक 29.09.2008 को निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया वर्ष 1965 में वादी को साबिक आराजी नम्बर 557 से 1 बीघा 18 बिस्वा वादी को आवंटन होकर आराजी नम्बर 557/1 के लिये नामान्तकरण संख्या 594 दिनांक 18.04.1968 से वादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया।
   --- जिम्मे वादी।
2. आया वादी वर्णित भूमि पर निरन्तर काबिज चला आ रहा है? एवं वादी का नाम त्रुटिपूर्वक हटाया गया है?
   --- जिम्मे वादी।
3. आया वादी का नाम विधि सम्मत तरीके से सक्षम आदेश द्वारा हटाया गया है?
   --- जिम्मे प्रतिवादी।
4. आया साबिक आराजी संख्या 557/1 से कोई अन्य नंबर व खाता कायम कर वादी की भूमि रेकार्ड पर दर्ज है?
   --- जिम्मे प्रतिवादी।
5. दादरसी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

साक्ष्यवादी में दिनांक 27.09.2010 को स्वयं वादी बिहारी लाल पिता घासी जाति खटीक निवासी राशमी का शपथ पत्र पेश हुआ एवं दस्तावेज प्रद्‌शित कराये। मौजा राशमी की नकल जमाबंदी संवत् 2038-41 के खाता संख्या 1 जो कि प्रदर्श-1 है। मौजा राशमी का नामान्तरकरण संख्या 594 जो कि प्रदर्श-2 है। मौजा राशमी का खसरा पत्रक जो कि प्रदर्श-3 है। पर्चा लगान जो कि प्रदर्श-4(अ) है। लगान रसीद जो कि प्रदर्श-5(अ) है। साक्ष्यप्रतिवादी में किसी प्रकार के दस्तावेज एवं शहादत प्रस्तुत नहीं की गई। इस पर दिनांक 27.09.2010 को ही शहादत प्रतिवादी बंद की गई एवं सुनवाई पूर्ण होने पर पत्रावली को दिनांक 04.10.2010 में आगामी पेशी वास्ते आदेश नियत की गई। इसके पश्चात् लम्बे समय से पत्रावली रिपोर्ट के बाबत् लम्बित रही है। दिनांक 09.05.2019 को अधिवक्ता वादी हाजिर नहीं आये एवं न ही वादी स्वयं हाजिर आये एवं पत्रावली में साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी पूर्ण होना रिकार्ड पर है एवं पत्रावली रिपोर्ट बाबत् लम्बित है जबकि उक्त रिपोर्ट वादी एवं प्रतिवादीगण के वादपत्र एवं जवाबदावे के अभिवचनों से परे जाकर रिपोर्ट बाबत् लम्बित होना पत्रावली से जाहिर होता है, पत्रावली पर इस रिपोर्ट के संबंध किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र वादी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत होना रिकार्ड पर नहीं है। पत्रावली विगत लम्बे समय लगभग 9 वर्ष से अधिक इसी रिपोर्ट बाबत् प्रकरण लम्बित है जबकि रिपोर्ट में चाहे गये दस्तावेज जन-दस्तावेज है जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपि वादी स्वयं प्राप्त कर न्यायालय में विधिक प्रावधानों के अध्यधीन प्रस्तुत कर सकता था किन्तु वादी द्वारा जान बूझकर लम्बे समय से प्रस्तुत नहीं किये गये है एवं प्रकरण को लम्बित रखा गया है ऐसी स्थिति में आज अधिवक्ता वादी/वादी स्वयं हाजिर नहीं आये है एवं पत्रावली में शहादत वादी एवं प्रतिवादी पूर्ण हो जाने से पत्रावली को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः अन्तर्गत आदेश 17 नियम 2 व 3 के विधिक प्रावधानों के अध्यधीन पत्रावली को गुणावगुण पर निर्णित किया जाता

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर निम्नानुसार तनकीवार निर्णय पारित किया जाता है।

तनकी संख्या 1. आया वर्ष 1965 में वादी को साबिक आराजी नम्बर 557 से 1 बीघा 18 बिस्वा वादी को आवंटन होकर आराजी नम्बर 557/1 के लिये नामान्तकरण संख्या 594 दिनांक 18.04.1968 से वादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया।

इस तनकी को साबित कराये जाने का भार वादी पर होकर यह वादी को साबित कराई जानी थी। मौजा राशमी की साबिक आराजी संख्या 557 रकबा 3-18 बीघा-बिस्वा में से वादी बिहारी लाल पिता घासी खटीक निवासी राशमी के 1-18 बीघा-बिस्वा भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज अभिलेख हुई जिसकी ताईद प्रदर्श-2 से होती है। प्रदर्श-2 से पुष्ठि होती है कि वादी बिहारी लाल पिता घासी खटीक निवासी राशमी का मौजा राशमी पटवार हल्का राशमी की साबिक आराजी संख्या 557 रकबा 3-18 बीघा-बिस्वा भूमि मैं से 1-18 बीघा-बिस्वा भूमि जरिये मिसल संख्या 38 सन् 65 से 10 वर्ष के लिए गैर खातेदार हक से आवंटित हुई है। जिसका नामान्तरकरण संख्या 594 की प्रमाणित प्रतिलिपि रिकार्ड पर उपलब्ध होकर प्रदर्श-2 है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजीयात वादी के आवंटन होने की पुष्ठि होती है। निष्कर्षतः तनकी संख्या एक वादी द्वारा साबित कराई गई है, अतः तनकी संख्या "एक आया वर्ष 1965 में वादी को साबिक आराजी नम्बर 557 से 1 बीघा 18 बिस्वा वादी को आवंटन होकर आराजी नम्बर 557/1 के लिये नामान्तकरण संख्या 594 दिनांक 18.04.1968 से वादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया।" पक्ष वादी विरुद्ध प्रतिवादी के निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2. आया वादी वर्णित भूमि पर निरन्तर काबिज चला आ रहा है? एवं वादी का नाम त्रुटिपूर्वक हटाया गया है?

इस तनकी को साबित कराये जाने का भार वादी पर होकर यह वादी को साबित कराई जानी थी। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट तहसीलदार राशमी की ओर से पत्रांक/राजस्व/11/184 दिनांक

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.08.2011 से प्रस्तुत की गई है जो कि रिकार्ड पर उपलब्ध है। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार राशमी ने अवगत कराया है कि ग्राम राशमी की आराजी संख्या 375/2459, 398/2460 रकबा 2-11 बीघा श्री बिहारी पिता घासी खटीक सा0देह के नाम अंकन से दर्ज हुई थी। यह आवंटन अति0 जिला कलेक्टर महोदय चित्तौडगढ के आदेश क्रमांक/कृ/13/77 दिनांक 09.08.1978 से निरस्त होकर भूमि बिलानाम दर्ज हुई। तत्पश्चात् जिला कलेक्टर महोदय चित्तौडगढ के पत्र क्रमांक/12-3(11)84/263 दिनांक 13.07.1984 से रा0प्रा0वि0 खेडीया को क्रीडा स्थल हेतु आवंटन की गई है। वर्तमान में खेडीया अलग ग्राम घोषित होकर पटवार मण्डल सोमी में चला गया है। हाल आराजी संख्या 375/2459 एवं 398/2460 कुल किता 2 कुल रकबा 2-11 बीघा साबिक आराजी संख्या 557मी0 से बना है जो कि वादी बिहारी पिता घासी खटीक के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज अभिलेख हुआ जिसकी ताईद प्रदर्श-2 व 3 से होती है। वादी के नाम पर दर्ज अभिलिखित आराजीयात को सक्षम आदेश अति0 जिला कलेक्टर चित्तौडगढ से हटाया गया है, जो कि सक्षम अधिकारी है, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट से स्पष्ट होता है ऐसी स्थिति में वादी यह साबित कराये जाने में असफल रहा है कि उक्त विवादित आराजीयात से वादी का नाम त्रुटिपूर्वक तरीके से हटाया गया है, चूंकि विवादित आराजीयात का वादी अभिलिखित गैर खातेदार हक से दर्ज रही है जो कि बिना किसी विधिक प्रकिया के नहीं हटाई गई है ऐसी स्थिति में वादी द्वारा विधिक प्रकिया से अपीलीय कार्यवाही की जा सकती थी किन्तु पत्रावली पर अपीलीय कार्यवाही किये जाने बाबत् कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य वादी की और से प्रस्तुत नहीं किये गये है। वादी द्वारा निरन्तर कब्जा होने का कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहॉ तक कब्जा का प्रश्न यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है एंव इस संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुये है। वादी द्वारा उसका नाम त्रुटिपूर्वक हटाने का भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि तहसीलदार राशमी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट किया गया है कि वादी का नाम सक्षम अधिकारी के आदेश से हटाया गया है। ऐसी स्थिति में यह तनकी संख्या 2 ''आया वादी वर्णित भूमि पर निरन्तर काबिज चला आ रहा है?'' विरूद्ध वादी पक्ष प्रतिवादी के निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3. आया वादी का नाम विधि सम्मत तरीके से सक्षम आदेश द्वारा हटाया गया है?

इस तनकी को साबित कराये जाने का भार प्रतिवादी पर होकर यह प्रतिवादी को साबित कराई जानी थी। चूंकि तनकी संख्या 2 वादी के जिम्मे होकर वादी को साबित कराई जानी थी किन्तु तनकी संख्या 2 वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की गई है एवं वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में किस प्रकार से हटाया गया है इसकी विवेचना तनकी संख्या 2 में की जा चुकी है साथ ही यह तनकी पूर्व तनकी संख्या 2 की पुनरावृत्ति ही है एवं पत्रावली पर उपलब्ध जवाबदावा में प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का अभिवचन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5(2) जा0दी0 के विधिक प्रावधानों के अध्यधीन इस तनकी को हटाया जाकर विलोपित किया जाता है।

तनकी संख्या 4. आया साबिक आराजी संख्या 557/1 से कोई अन्य नंबर व खाता कायम कर वादी की भूमि रेकार्ड पर दर्ज है?

इस तनकी को साबित कराये जाने का भार प्रतिवादी पर होकर यह प्रतिवादी को साबित कराई जानी थी। पत्रावली पर उपलब्ध जवाबदावा में प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का अभिवचन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5(2) जा0दी0 के विधिक प्रावधानों के अध्यधीन इस तनकी को हटाया जाकर विलोपित किया जाता है।

दादरसी :-

वादी के जिम्मे की तनकी संख्या 1 एवं 2 वादी को साबित कराई जानी थी एवं तनकी संख्या 1 पक्ष वादी के एवं तनकी

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

संख्या 2 विरूद्ध वादी के निर्णित की गई है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजीयात वादी के आंवटन हुई जिसे सक्षम आदेश से हटाया गया है। ऐसी स्थिति में वादी अपना वाद ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराये जाने में असफल रहा है, अतः वादी को किसी भी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से वादी अपना वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का साबित कराने में असफल रहा है अतः वादी का वाद ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नही होने से खारीज किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक को **09.05.2019** खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09-5-19

(कपूर शंकर मान)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

बिहारी लाल पिता श्री घासी खटीक उम्र 75 वर्ष निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

वादी

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

प्रतिवादी

–:: दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा ::–

प्रकरण संख्या :– 100/2010

वादी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति और प्रतिवादी की ओर तहसीलदार राशमी की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 09.05.2019 को समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नही होने से खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

09-5-19

(कपूर शंकर मान)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
	रूपये	पैसे		रूपये	पैसे
वादपत्र के लिए स्टाम्प	3	0	शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	–	–
शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	0	0	अर्जी के लिये स्टाम्प	–	–
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	4	0	प्लीडर की फीस	–	–
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	–	–	साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–	–
साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
कमिश्नर की फीस	–	–			
आदेशिका की तामील	3	0			
जोड़	10	0	जोड़	0	0